# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

**मुकदमा नम्बरः– 09/2025**
**निर्णय दिनांकः–27.03.2025**
**पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)**

1. गोविन्दनारायण व्यास पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. रामस्वरूप पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामप्यारी देवी पत्नि स्व० रामलाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. उप पंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज०।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री रामपाल बैरवा अधिवक्ता वादी
श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज०टी०एक्ट

निर्णय दिनांकः–27.03.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खतौनी संख्या 279 के आराजी खसरा नम्बर 4709 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4710 रकबा 0.2023 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 4712 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4713 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7193 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7194 रकबा 1.1886 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7195 रकबा 1.1633 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7196 रकबा 1.0369 हेक्टेयर खसरा नम्बर 7202/2 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7206/1 रकबा 2.3267 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7207 रकबा 0.9104 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 7237/2 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7241 रकबा 0.6955 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7242 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7299 रकबा 0.9990 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7318 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7337 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7345 रकबा 1.1128 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7349 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7354 स्कबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7373 नम्बर

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

रकबा 1.1886 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7376 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा 7379 रकबा 1.3657 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7464 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7478 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7615 रकबा 2.3014 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8501 रकबा 1.9220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8504 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8505 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8506 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8698 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8699 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8700 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8702/1 रकबा 1.0242 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8705 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8706 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8707 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8722 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8726 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8734 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8738 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 41 कुल रकबा 25.2649 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा 1/4–1/4 है तथा खाता संख्या 508 के आराजी खसरा नम्बर 7585 रकबा 1.0116 हैक्टेयर व खाता संख्या 585 के आराजी खसरा नम्बर 8708 रकबा 3.0727 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 583 के आराजी खसरा नम्बर 8821 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 4.2866 हैक्टेयर की भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा 1/8–1/8 है जो मौके पर उक्त हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि को वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। तथा विवादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का जन्मजात हक व हिस्सा निहित है। उक्त विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है उक्त विवादित भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो वादी के पूर्वज दादा भूरा पुत्र लाला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा भूरा पुत्र लाला की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी के पिता सूजालाल पुत्र भूरा एवं वादी की माता भूरी देवी पत्नि सूजालाल की भी मृत्यु हो चुकी है तथा वादी के भाई रामलाल पुत्र सूजालाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे उक्त विवादित भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 वाद पत्र के.पैरा संख्या 01 में वर्णित हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित भूमि वादी के दादा भूरा पुत्र लाला के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 बतौर कोटिनेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे है जिनको हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होता है उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी का हिस्सा व हक अधिकार जन्म से निहित है जिससे प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। वादी के भाई स्व० रामलाल

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

की मृत्यु हो चुकी है जिसकी वारिस एकमात्र प्रतिवादी संख्या 03 है वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 उक्त विवादित भूमि में भनबट के अनुसार अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है वादी के पिता सूजालाल पुत्र भूरा की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे उक्त विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा बराबर–बराबर है। अभी हाल ही में दिनांक 01/02/2025 को जब वादी अपने हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी में बोई हुई फसल चना व सरसों व गेहूं की सार–सम्भाल करने गया था तो प्रतिवादीगण कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये और मौके पर जमीन दिखाकर बैचान की बातचीत करने लगे। तो वादी ने प्रतिवादीगण को बेचान करने से मना किया तो प्रतिवादीगण आगबबुला हो गया और वादी के साथ गाली–गलौच करने लगे एवं कहा कि उक्त आराजी हमारी है। जिसको हम बेचान करेगें एवं तुम्हे तुम्हारे हिस्से से बेदखल करके रहेगें। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा का मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त नापाक मनसूबे में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। खर्चे से जेरबार होना पड़ेगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जिससे वादी को भारी क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा। इसलिए वादी को आवश्यक हुआ है कि वह उक्त वाद पेश कर अपने हक एवं अधिकार व हिस्से कि भूमि की घोषणा करवाते हुये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द करवा देवें। विवादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी का हक एवं अधिकार निहित है जिसे प्राप्त करने का वादी अधिकारी है उक्त विवादित भूमि का विधिवक्त रूप से विभाजन नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण भी आये दिन सिपाओं को लेकर वादी से विवाद करते है ओर भूमि की बाहजोत करने में बाधा उत्पन्न करते है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी को वादकारण दिनांक 01/02/2025 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की पुश्तैनी आराजीयात को बैचान कर वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ हैं। जो निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजी व पक्षकारान् का निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद की सुनवाई व निस्तारण किये जाने का अधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री रमेशचन्द शर्मा उपस्थित आये तथा ईकबालिया जवाब मय राजीनामा पेश किया गया एवं अपने जवाब व राजीनामा मे बताया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है। जिससे वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि को पैरा सं.

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

01 में वर्णित हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम लगाया जाना न्यायोचित है।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वादी के द्वारा उक्त वाद पत्र पुश्तैनी कृषि भूमि की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा स्व0 भूरा पुत्र लाला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके नाम की उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त है। **प्रतिवादीगण जरिये इकबालिया जवाब मय राजीनामा आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत होने पर प्रकरण के तथ्यों व दावे को प्रतिवादीगण की ओर से स्वीकार किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित भूमि को लेकर राजीनाम हो चुका है तथा अब काई विवाद शेष नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण के तथ्यों को स्वीकार कर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे पक्षकारान के मध्य वाद की विषय वस्तु को लेकर समझौता हो चुका है।** जिससे उक्त विवादित भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

**–:आदेश:–**

अतः वादी का वाद **आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के अन्तर्गत** विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 279 के आराजी खसरा नम्बर 4709, 4710, 4712, 4713, 7193, 7194, 7195, 7196, 7202 / 2, 7206 / 1, 7207, 7237 / 2, 7241, 7242, 7299, 7318, 7337, 7345, 7349, 7354, 7373, 7376, 7379, 7464, 7468, 7615, 8501, 8504, 8505, 8506, 8698, 8699, 8700, 8702 / 1, 8705, 8706, 8707, 8722, 8726, 8734, 8738 कुल किता 41 कुल रकबा 25.2649 हैक्टेयर तथा खाता सं. 508 के ख0नं0 7585 रकबा 1.0116 है0, खाता सं0 585 के ख0नं0 8708 रकबा 3.0727 है0, खाता सं0 583 के ख0नं0 8821 रकबा 0.2023 है0 भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी में स्थित आराजीयात मे स्व0 भूरा पुत्र लाला के नाम दर्ज हिस्से की आराजीयात मे वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- आदेश दिनांक 16.4.25 के अनुसार खाता सं. 279 के ख.नं. 7468 के स्थान पर 7478 पढ़ा जावे।

27/3/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

गोविन्दनारायण बनाम सत्यनारायण वगै0
मु0न0:– 09/2025
निर्णय दिनांक:– 27.03.2025

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

## बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. गोविन्दनारायण व्यास पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. रामस्वरूप पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामप्यारी देवी पत्नि स्व० रामलाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. उप पंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज०।

प्रतिवादीगण

**::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–**

मु0न0:– 09/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री रामपाल बैरवा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी श्री रमेशचन्द शर्मा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद **आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के अन्तर्गत** विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 279 के आराजी खसरा नम्बर 4709, 4710, 4712, 4713, 7193, 7194, 7195, 7196, 7202/2, 7206/1, 7207, 7237/2, 7241, 7242, 7299, 7318, 7337, 7345, 7349, 7354, 7373, 7376, 7379, 7464, 7468, 7615, 8501, 8504, 8505, 8506, 8698, 8699, 8700, 8702/1, 8705, 8706, 8707, 8722, 8726, 8734, 8738 कुल किता 41 कुल रकबा 25.2649 हैक्टेयर तथा खाता सं. 508 के ख0नं0 7585 रकबा 1.0116 है0, खाता सं0 585 के ख0नं0 8708 रकबा 3.0727 है0, खाता सं0 583 के ख0नं0 8821 रकबा 0.2023 है0 भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी में स्थित आराजीयात मे भूरा पुत्र लाला के नाम दर्ज हिस्से की आराजीयात मे वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज........मुबलिग........बाबत........

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ........फीसदी........ सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.03.2025 को जारी की गई।

नोट:- आदेश दिनांक 16.4.25 के अनुसार खाता सं 279 के ख.नं. 7468 के स्थान पर 7478 पढ़ा जावें।

दस्तखत........

मुहर

ओहदा........ उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी कृ0प0उ0
फागी

गोविन्दनारायण बनाम सत्यनारायण वगै0
मु0न0:– 09 / 2025
निर्णय दिनांक:– 27.03.2025

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबुत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान | | | स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान | | |

27/3/25
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते